क्रम संख्या–07

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 15 जनवरी, 2020 ई0

पौष 25, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 17/XXXVI (3)/2020/83(1)/2019

देहरादून, 15 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन विधेयक, 2019'** पर दिनांक 13 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 06 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2020)

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण
	अध्याय एक प्रारम्भिकी
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2.	परिभाषाएं
	अध्याय दो बोर्ड का गठन, कार्य और शक्तियां
3.	चार धाम देवस्थानम् बोर्ड का गठन
4.	बोर्ड के कर्तव्य और शक्तियां
5.	सदस्यों की सेवा शर्तें और निबन्धन
6.	नामांकित सदस्यों की अनर्हता और दायित्व
7.	निरर्हता पर नामित सदस्य की रिक्ति
8.	बोर्ड की बैठकें
9.	बोर्ड या समिति के गठन में रिक्ति कोई प्रभाव नहीं डालेगी
	अध्याय तीन उच्चस्तरीय समिति का गठन
10.	देवस्थानम् प्रबन्ध और यात्रा समन्वय के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन
11.	उच्च स्तरीय समिति के कार्य और कर्तव्य
12.	बैठक अनुसूची
	अध्याय चार अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति
13.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति
14.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता हेतु अधिकारी
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य
16.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय

	अध्याय पांच
	धार्मिक संस्थाओं द्वारा रजिस्टरों की तैयारी और अनुरक्षण
17.	चार धाम देवस्थानम्/धार्मिक संस्थाओं द्वारा रजिस्टरों को तैयार करना और अनुरक्षण
18.	रजिस्टरों का वार्षिक सत्यापन
	अध्याय छ:
	चार धाम देवस्थानम् का प्रशासन और प्रबंधन
19.	न्यासी/हकहकूकधारियों, इत्यादि के अधिकार एवं कर्तव्य
20.	न्यासी लेखों, विवरणों इत्यादि को उपलब्ध करायेगा
21.	सम्पति और अभिलेखों का निरीक्षण
22.	बोर्ड में कतिपय सम्पतियों का निहित होना
23.	अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् की अचल सम्पतियों का निहित होना
24.	अभिलेखों के रजिस्टरों पर प्रतिबंध
25.	अविधिक रूप से समाहित अचल सम्पति की वसूली
26.	चार धाम देवस्थानम् से सम्बंधित भूमि और परिसरों पर अतिक्रमण को हटाना
27	चार धाम देवस्थानम् के संरक्षण और विकास के लिए कार्य करने की शक्तियां
	अध्याय सात
	न्यासी, पुजारी, रावल इत्यादि की नियुक्ति, सहबद्धता और निर्योग्यता
28.	पुजारी इत्यादि की नियुक्ति और सहबद्धता करने के लिए प्रक्रिया तथा उनके निर्बन्धन
29.	न्यासी, पुजारी इत्यादि को हटाया जाना
30.	न्यासी, रावल और पुजारी इत्यादि की निर्योग्ताएं
31	वंशानुगत पुजारी, न्यासी, रावल या पुजारी के पद में रिक्ति की पूर्ति
	अध्याय आठ
	वित्त, चार धाम निधि और बजट एवं लेखों का अनुरक्षण
32.	वित्त, चार धाम निधि का गठन, बजट, लेखों और अवशेषों का भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य धनराशि
33.	मंदिर बकाया की वसूली
34.	हुण्डी का संस्थापन
35.	बोर्ड द्वारा आय व्ययक की तैयारी और उसका प्रस्तुतिकरण
36.	लेखों का अनुरक्षण और अंकेक्षण

	अध्याय नौ **अपराध तथा शास्तियां**
37.	न्यासी इत्यादि द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन न करने के लिए शास्ति
38.	धार्मिक संस्थाओं से सम्बंधित सम्पति को त्रुटिपूर्ण रूप से रोके रखने तथा किसी अन्य स्थान पर पारम्परिक मूर्ति को स्थापित करने प्रतिरुप के लिए शास्ति
39.	अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होना
40.	अपराधों का संज्ञान
	अध्याय दस **विविध**
41.	सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण
42.	कठिनाई निवारण करने की शक्ति
43.	बोर्ड हिन्दू देवस्थानम् इत्यादि के अतिरिक्त देवस्थानम् इत्यादियों के विकास के लिए निधियां प्राप्त कर सकेगा
44.	अनुसूची में संशोधन
45.	कतिपय धार्मिक संस्थाओं पर अधिनियम का लागू न होना
46.	नियम एवं विनियम बनाने की शक्ति
47.	क्षेत्राधिकार का प्रतिबंध
48	अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव
49.	निरसन और व्यावृत्तियां

उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड में स्थित चार धामों तथा प्रसिद्ध मंदिरों के कायाकल्प तथा देवस्थानम् प्रबन्धन बोर्ड की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो;–

अध्याय एक
प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबंधन अधिनियम, 2019 है।

(2) यह चार धाम और इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची के क,ख,ग,घ और ड़ में दिये गये अन्य देवस्थानम्/मंदिरों पर लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) **''अधिनियम''** से उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबंधन अधिनियम 2019 अभिप्रेत है;

(ख) **''बोर्ड''** से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित चार धाम देवस्थानम् बोर्ड, अभिप्रेत है।

(ग) **''मुख्य कार्यकारी अधिकारी''** से हिन्दू धर्म का अनुयायी अखिल भारतीय सेवा के उच्चतम वेतनमान (super tme scale) के वेतन में कार्यरत, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें तत्समय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन करने वाला अधिकारी सम्मिलित है;

(घ) **''चार धाम''** से उत्तराखण्ड में अवस्थित श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम और गंगोत्री तथा यमुनोत्री के पवित्र देवस्थानम् तथा इस अधिनियम की अनुसूची में यथाउल्लिखित एवं राज्य

सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूची में उल्लिखित मंदिर अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है—

(i)– पूजा, अनुरक्षण या सुधार, किसी सेवा के निष्पादन या उससे सम्बंधित दान के लिए दी गयी या उससे सम्बंधित समस्त चल या अचल सम्पति; और

(ii)– मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ, वस्त्र, आभूषण और सजावट इत्यादि के लिए अन्य वस्तुएं;

(ड़) **"अध्यक्ष"** से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित बोर्ड का अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) **"दानदाता"** से ऐसा व्यक्ति या संगठन अभिप्रेत है, जिसने ऐसी नकद धनराशि या सेवाओं के रूप में दान किया है, जो उत्तराखण्ड में चार धाम देवस्थानम् के विकास के लिए महत्वपूर्ण है;

(छ) **"उत्तराखण्ड चार धाम निधि"** से अधिनियम की धारा 32 के अधीन गठित और अनुरक्षित निधि अभिप्रेत है;

(ज) **"कर्मचारी"** से मंदिर समिति या बोर्ड के अधीन स्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ञ) **"हक़–हकूकदार"** से ऐसा व्यक्ति अथवा समुदाय विशेष अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की अनुसूची में वर्णित धार्मिक देवस्थानम्/मंदिरों, अनुष्ठान क्षेत्र में पूजा के सम्पादन हेतु प्रचलित परम्परा अथवा पारम्परिक अधिकार के अनुसार दस्तूर के रुप में कुछ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है;

(ट) **"वंशानुगत पुजारी"** से चार धाम देवस्थानम्/किसी धार्मिक संस्था का न्यासी या पुजारी जिसका उत्तराधिकार किसी रूढि द्वारा विनियमित होता है या वन्शानुगत उत्तराधिकार द्वारा न्यायगत होता हो ;

(ठ) **"हिन्दू धर्म"** से हिन्दुओं का ऐसा सम्प्रदाय, जो सनातन धर्म को मानते हैं या उसमें विश्वास रखते हैं, अभिप्रेत है;

(ड) **"किसी अधिकार का धारक"** से मंदिर समिति द्वारा मुख्य मंदिर या प्रमुख देवस्थानम् में प्रचलित परम्परा एवं रुढ़िगत् अधिकारों द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ढ) **"सदस्य"** से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) में यथा उल्लिखित बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

(ण) "**गैर–वंशानुगत पुजारी**" से ऐसा न्यासी या पुजारी अभिप्रेत है जो वंशानुगत नही है;

(त) "**विहित**" से सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत है;

(थ) "**पुजारी**" से मंदिर में पूजा सम्पादित कराने वाला या रीतियों या परम्पराओं के अनुसार किसी देवता की पूजा सम्पादित करने वाला पुजारी अभिप्रेत है और इसमें पण्डा, पुरोहित या अन्य कोई व्यक्ति जो किसी देवस्थानम् या किसी धार्मिक संस्था में आचार्य के रूप में पूजा अर्चना या अन्य अनुष्ठान सम्पादित करता है, सम्मिलित है;

(द) "**रावल**" से श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ में पूजा तथा अन्य धार्मिक कृत्यों को करने के लिये विद्यमान रूढिगत् अधिकारों के अनुसार नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसमें रावल तथा नायब रावल दोनों सम्मिलित हैं;

(ध) "**अनुसूची**" से इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(न) "**धारा**" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(प) "**देवस्थानम्**" से भवन, स्थान या अन्यथा किसी रूप में ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो देवत्व, पवित्र व्यक्ति या अवशेष से सम्बन्धित होने के कारण पवित्र माना जाता है;

(फ) "**देवस्थानम् क्षेत्र**" से भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित क्षेत्र को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ब) "**मंदिर**" से कोई ऐसा स्थान चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो, जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता हो और हिन्दू समुदाय द्वारा या सनातम धर्म या सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रुप में किसी भी वर्ग को लाभान्वित करने हेतु समर्पित हो, के अधिकार के रुप में प्रयोग किया जाता हो, अभिप्रेत है;

(भ) **"न्यासी"** से चार धाम देवस्थानम् के सम्बंध में ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी परम्परा, रीति या पद्धति या किसी सम्यक मान्यता के अधीन विधिवत मान्यता प्राप्त वंशानुगत योगदान दिया हो सम्मिलित है;

(म) **"मंदिर समिति"** से उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1939 और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1964 द्वारा यथासंशोधित के अधीन गठित बद्रीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति या अनुसूची के अधीन मंदिर के प्रबंधन के लिए गठित कोई अन्य समिति अभिप्रेत है; और

(य) **"यात्रा समन्वय"** से उत्तराखण्ड में चार धाम यात्रा के समुचित और सामान्य संचालन के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय तथा तीर्थ यात्रियों हेतु समुचित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यथा सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ शौचालय सुविधा, परिवहन सुविधा, निवास और भोजन सुविधा इत्यादि उपलब्ध कराना अभिप्रेत है।

अध्याय दो

बोर्ड का गठन, कार्य और शक्तियां

चार धाम देवस्थानम् बोर्ड का गठन

3. (1) राज्य सरकार ऐसी तारीख से जैसा वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के अधीन दी गयी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चार धाम देवस्थानम् बोर्ड का गठन करेगी।

(2) बोर्ड में सम्मिलित होंगे–

(क) शासकीय सदस्य–

(एक) उत्तराखण्ड सरकार का मुख्यमंत्री जो कि बोर्ड का अध्यक्ष होगा और यदि मुख्यमंत्री हिन्दू नहीं है तो वह मंत्री परिषद् कि किसी वरिष्ठ मंत्री जो हिन्दू धर्म का अनुयायी हो एवं बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हता रखता हो, को नामित करेगा।

(दो) संस्कृति मामलों का मंत्री उपाध्यक्ष होगा तथा यदि वह हिन्दू नहीं है तो मुख्यमंत्री मंत्रीपरिषद के किसी वरिष्ठ मंत्री जो हिन्दू धर्म का अनुयायी हो एवं बोर्ड के सदस्य के रुप में नियुक्त होने के लिये अर्हता रखता हो, को नामित करेगा।

(तीन) उत्तराखण्ड सरकार का मुख्य सचिव बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।

(चार) उत्तराखण्ड सरकार के पर्यटन विभाग का सचिव बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।

(पांच) उत्तराखण्ड सरकार के संस्कृति और धार्मिक मामलों के विभाग का सचिव बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।

(छः) उत्तराखण्ड सरकार के वित्त विभाग का सचिव बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।

(सात) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष आमंत्रित व्यक्ति जो कि संयुक्त सचिव की श्रेणी से निम्न न हो,

(आठ) अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव होगा।

(ख) नामांकित सदस्य–

(एक) राज्य सरकार द्वारा नामित पूर्व टिहरी रियासत के राज परिवार का सदस्य या उसके द्वारा नामित व्यक्ति;

(दो) हिन्दू धर्म का अनुसरण करने वाले उत्तराखण्ड राज्य के तीन से अनधिक सांसद राज्य सरकार की अनुशंसा पर संसद द्वारा नामांकित;

(तीन) हिन्दू धर्म का अनुसरण करने वाले राज्य विधान सभा के सदस्यों में से राज्य विधान सभा द्वारा नामित छः से अनधिक व्यक्ति राज्य सरकार की अनुशंसा पर;

(चार) राज्य सरकार द्वारा नामित चार से अनधिक सदस्य जो दानदाता (भूत, वर्तमान या भविष्य) हो और हिन्दू धार्मिक मामलों में विशेष रूचि रखता हो, में से होंगे।

(पांच) राज्य सरकार द्वारा नामित सनातन धर्म से सम्बन्धित हिन्दू धर्म के धार्मिक मामलों का व्यापक अनुभव रखने वाला ख्याति प्राप्त व्यक्ति;

(छः) पुजारियों या वंशानुगत पुजारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये बद्री–केदार, यमुनोत्री–गंगोत्री और अनुसूची में वर्णित धार्मिक

(क) यदि वह दिवालिया है; या

(ख) यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा की गयी ऐसी घोषणा विद्यमान हो; या

(ग) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध का दोषी है; या

(घ) वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है; या

(ड.) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड या संस्था के मामलों में उसके विकास, परिवहन, संविदा इत्यादि के व्यवहार में किसी फर्म/कम्पनी का कोई अंश या हित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में उसके द्वारा या किसी सहयोगी के द्वारा संलग्न है, या

(च) उसने सदस्य के रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया है और राज्य सरकार या बोर्ड की राय में उसका बोर्ड के सदस्य पद पर बना रहना सामान्य जनता के हित में नही है।

(2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा उसको सदस्य पद से हटाये जाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उसे उसे कारण बताने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

(3) इस अधिनियम में किसी अन्य बात के होते हुए भी बोर्ड का प्रत्येक सदस्य उत्तराखण्ड चार धाम निधि की हानि, दुर्व्यय या दुर्विनियोग के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुर्विनियोग उसके जानबूझकर किये गये कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम है। उसके विरूद्ध बोर्ड द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए वाद योजित किया जा सकेगा।

निरर्हता पर नामित सदस्य की रिक्ति

7. यदि बोर्ड के कोई नामांकित सदस्य धारा 6 में विनिर्दिष्ट किसी निरर्हता के अध्यधीन है, तो तदुपरान्त उसका पद रिक्त हो जायेगा।

बोर्ड की बैठकें

8. (1) बोर्ड, वर्ष में न्यूनतम एक बार ऐसे स्थान पर बैठक करेगा और यथाविहित रूप में बैठक में कार्य के व्यवहरण के सम्बंध में ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जैसा बोर्ड नियत करे:

परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष की राय में अत्यावश्यक प्रकृति का कोई कार्य सम्पादित किया जाना हो तो वह उपयुक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे समय पर बोर्ड की विशेष बैठक आहूत कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी।

(3) किसी बैठक में तब तक कोई कार्य व्यवहृत नही किया जायेगा जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अतिरिक्त न्यूनतम छः सदस्य उपस्थित न हो।

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कृत्यों को सम्पादित करने वाला व्यक्ति बोर्ड का पदेन सचिव होगा और बोर्ड के कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) बोर्ड का प्रत्येक निर्णय जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, सर्वसम्मति से लिया जायेगा।

बोर्ड या समिति के गठन में रिक्ति कोई प्रभाव नही डालेगी

9. (1) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अमान्य या प्रश्नांकित नहीं की जायेगी कि यथास्थिति बोर्ड में कोई रिक्ति विद्यमान थी या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि थी।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

अध्याय तीन

देवस्थानम्–प्रबंधन और यात्रा समन्वय के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन

देवस्थानम्–प्रबंधन और यात्रा समन्वय के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन

10. (1) राज्य सरकार, धार्मिक यात्रा के समुचित संचालन के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के प्रयोजनार्थ, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगीः–

क– उत्तराखण्ड सरकार का मुख्य सचिव– अध्यक्ष,

ख– प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन – सदस्य,

ग– प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति एवं धर्मस्व – सदस्य,

घ– प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त – सदस्य,

ड.– प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व – सदस्य,

च– प्रमुख सचिव/सचिव, गृह – सदस्य,

छ– प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग – सदस्य,

ज– प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास – सदस्य,

झ– प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास – सदस्य,

ञ– प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य – सदस्य,

ट– प्रमुख सचिव/सचिव, वन – सदस्य,

ठ– प्रमुख सचिव/सचिव, नागरिक उड्डयन – सदस्य,

ड– मुख्य कार्यकारी अधिकारी– सदस्य/संयोजक,

ढ– सम्भागीय आयुक्त, गढवाल और कुमायूं– सदस्य, और

ण– समय–समय पर ऐसे अन्य प्रमुख सचिव/ सचिव पंक्ति के अधिकारी जिनकी भूमिका को यात्रा समन्यवय में महत्वपूर्ण समझा जाय, नामित किये जा सकेंगे।

उच्च स्तरीय समिति के कार्य और कर्तव्य

11. (1) उच्च स्तरीय समिति धार्मिक यात्रा के सुचारु संचालन हेतु इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों के निष्पादन के लिए विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करेगी।

(2) समिति समय–समय पर बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

बैठक अनुसूची

12. उच्च स्तरीय समिति, देवस्थानम् और यात्रा समन्वय के लिए छः माह में न्यूनतम एक बार बैठक करेगी।

अध्याय चार

अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति

13. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कृत्यों या सौपे गये कार्यों का निर्वहन करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेगी।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति उच्चतम वेतनमान (super time scale) तथा अधिक के ग्रेड वेतन का अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत अधिकारी होगा।

(3) राज्य सरकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिए

समय–समय पर ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता हेतु अधिकारी

14. राज्य सरकार समय–समय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिये ऐसे अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जैसे कि अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संपदा **(estate)** प्रबंधक, विपणन **(marketing)** अधिकारी, वन विभाग से अधिकारी, वित्त अधिकारी, अभियन्ता, लोक सम्पर्क अधिकारी, विजिलेंस अधिकारी, जैसा वह उचित समझे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां और कृत्य

15. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुसूची में उल्लिखित चार धाम और सम्बद्ध मंदिरों का प्रशासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में ऐसे आदेशों को पारित करने की शक्ति सम्मिलित होगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझी जाय कि ऐसा देवस्थानम् उचित रूप से प्रशासनिक कार्य कर रहा है, और आय उचित रूप में उत्तराखण्ड चार धाम निधि में जमा की जा रही है तथा उचित प्रकार से प्रयुक्त की जा रही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवस्थानम् क्षेत्र के विकास और गतिविधियों जैसे निवास और भोजन, चिकित्सा सेवाएं, स्वच्छता सुविधाएं, समुचित परिवहन व्यवस्थाएं, संचार सुविधाएं, प्रबंध तंत्र का आधुनिकीकरण और पुरोहित तथा स्थानीय लाभार्थियों के कल्याणार्थ तथा बिना किसी भेद–भाव के, पूजा करने वालों और तीर्थ यात्रियों तथा पर्यटकों के लाभ के लिए कार्य करेगा।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि, मूल्यवान वस्तुओं, सोना, आभूषण और देवताओं में निहित सम्पति के संरक्षण के लिए तथा उसके समुचित लेखों के अनुरक्षण के लिए सुरक्षित अभिरक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध करेगा।

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात पुजारी, पद धारक, न्यासी इत्यादि के लिए पारिश्रमिक नियत करेगा।

(5) वह राज्य में यात्रा के समुचित संचालन के हित में यदि आवश्यक हो तो विभिन्न जिला कार्यकारियों जैसे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला पंचायत, शहरी स्थानीय निकायों, और/या कोई अन्य स्थानीय निकायों को समुचित निर्देश देने के लिए सशक्त होगा।

(6) वह तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर/देवस्थानम् के कुशल प्रबंधन के लिए यथा आनुषांगिक और आवश्यक सभी कृत्य करेगा।

(7) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी समस्त गतिविधियों और दायित्वों का संचालन करेगा जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर विहित कि जाए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय

16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय का प्रबंध तंत्र सहित सभी कर्मचारियों का वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक उत्तराखण्ड चार धाम निधि से भुगतान किये जायेंगे, जिसमें राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत और गैर पूँजीगत अनुदान के माध्यम से सहयोग किया जा सकेगा।

अध्याय पांच

चारधाम देवस्थानम्/धार्मिक संस्थाओं द्वारा रजिस्टरों को तैयार करना और उनका अनुरक्षण

चारधाम देवस्थानम्/ धार्मिक संस्थाओं द्वारा रजिस्टरों को तैयार करना और अनुरक्षण

17. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन आच्छादित देवस्थानम्/मंदिरों के लिए एक रजिस्टर ऐसे प्रारूप और रीति से जैसा विहित किया जाय, तैयार और अनुरक्षित करेगा, जिसमें–

(क) देवस्थानम् की उत्पत्ति और इतिहास, पूर्व और वर्तमान न्यासियों के नाम और वंशानुगत पुजारी या न्यासी इत्यादि के कार्यालय के उत्तराधिकार से सम्बंधित विशेष परम्परा या रीति, यदि कोई हो, का विवरण।

(ख) प्रशासन की योजना का विवरण और व्यय की मात्रा।

(ग) वेतन, पारिश्रमिक या मानदेय के रूप में सहयुक्त सभी अधिकारियों/व्यक्तियों के नाम और प्रत्येक मामलों में सेवा की प्रकृति, शर्तें और निबन्धन।

(घ) धन, आभूषण, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, मूर्तियां, मूर्ति, प्राचीन वस्तुएं, पात्रों और बर्तनों तथा संस्था से सम्बंधित अन्य चल सम्पति, उनकी मात्रा और भार, घटक वस्तुओं का विवरण और उनका वर्तमान अनुमानित मूल्य।

(ड.) संस्था की अचल सम्पतियों का विवरण, अनुदान, अधिकार, सभी हक विलेख, सर्वेक्षण योजना और राज्य सरकार, मंदिर समिति, बोर्ड और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किए गये सर्कुलर, आदेश और अन्य अभिलेख।

(च) मूर्तियों तथा अन्य छायांकन या देवस्थानम् से जुड़े हुए घटक वस्तुओं का विवरण चाहे वह पूजा के काम आते हों, या उन्हें जुलूस में ले जाया जाता हो

(छ) प्राचीन या ऐतिहासिक अभिलेखों, लिपियों, उनके विवरण तथा हिन्दी भाषा में उसका संक्षिप्त अनुवाद तथा

(ज) ऐसे विवरण जैसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित उपर्युक्त सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा चुने गये समुचित नाम के अधीन इंटरनेट पर प्रदर्शित करने के लिए एक वेबसाइट के प्ररूप में भी सुरक्षित रखी जायेगी:

परन्तु यह कि प्रत्येक न्यासी या उसके द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या पुजारी या कोई व्यक्ति, जिसका कार–बार और गतिविधियों पर नियंत्रण हो, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी कि संस्था द्वारा अर्जित चल और अचल दोनों सम्पतियों की सूची जैसा रजिस्टर में प्रदर्शित की गयी है, सही और पूर्ण है।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित रजिस्टर की एक प्रति न्यासी या पुजारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

रजिस्टरों का वार्षिक सत्यापन

18. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा उसके स्थान पर अधिकृत अधिकारी प्रतिवर्ष अथवा एक वर्ष से कम के ऐसे समय अन्तराल पर जो निर्धारित किया जाय। रजिस्टर में प्रविष्टियों की जांच करेगा और उन्हें अद्यतन करेगा। रजिस्टर में किये गये संशोधन, विलोपन या परिवर्धन को दर्शित करने वाले कथन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश की एक प्रति न्यासी या पुजारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्याय छः

चार धाम देवस्थानम् का प्रशासन और प्रबंधन

न्यासी एवं हकहकूकधारियों इत्यादि के अधिकार एवं कर्तव्य

19. (1) पुजारी/ न्यासी/तीर्थ पुरोहितों/पण्डों एवं सम्बंधित हकहकूधारियों को वर्तमान में प्रचलित देय दस्तूरात /अधिकार के मामले यथावत बने रहेंगे।

(2) अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् का न्यासी संस्था की परम्पराओं तथा रीतियों और विधिपूर्ण निर्देशों के अनुसरण में, अपने कार्यालय को प्रशासित करेगा।

(3) अधिनियम की धारा 17 व 18 में तैयार रजिस्टर की जांच न्यासी/अधिकृत प्रतिनिधि करेंगे तथा गलत अथवा विलोपित प्रविष्टियाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संज्ञान में लायी जायेंगी। धारा 17 एवं 18 के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लिए गये निर्णय के विरूद्ध बोर्ड में अपील की जायेगी।

न्यासी लेखों, विवरणों इत्यादि को उपलब्ध करायेगा

20. इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् का न्यासी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उसके प्रभार में देवस्थानम्/मंदिर के प्रशासन से सम्बंधित ऐसे लेखों, विवरणों, रिर्पोटों अथवा उसकी निधियों, सम्पतियों या आय या उससे सम्बंधित धन या उसके विनियोग की अन्य जानकारी को ऐसे समय और ऐसे प्ररूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध करायेगा जैसा वह निर्देश दे या अपेक्षा करे।

सम्पति और अभिलेखों का निरीक्षण

21. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उनके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, अपना ये समाधान करने के उद्देश्य से कि अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों का सम्यक रूप से पालन किया गया है, चार धाम और देवस्थानम् के धार्मिक परम्पराओं और रीतियों का सम्यक् सम्मान करते हुए देवस्थानम् सम्बन्धित समस्त चल और अचल सम्पति तथा सभी अभिलेखों, पत्र व्यवहारों, योजनाओं, लेखों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा और उसके अधीन कार्य करने वाले न्यासी या पुजारी और सभी अधिकारी, उसके

प्रतिनिधि तथा कोई व्यक्ति जिसका उसके प्रशासन में सम्बंध हो, के ऐसे निरीक्षण के सम्बंध में अपेक्षित यथाआवश्यक या समुचित सभी ऐसी सहायताएं और सुविधाएं तथा निरीक्षण के लिए ऐसी कोई चल सम्पति या अभिलेख को भी प्रस्तुत करेगा, जैसा अपेक्षित हो।

(2) उपर्युक्त निरीक्षण के प्रयोजनार्थ निरीक्षण अधिकारी अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् या पूजा के लिए किसी स्थान के परिसर में किसी समुचित समय पर स्थानीय व्यवहारों, परम्पराओं या रीतियों के अध्यधीन प्रवेश कर सकेगा।

(3) इस धारा की किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि यह किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिसर या स्थान या उसके किसी भाग में प्रवेश के लिए अधिकृत करती है, जब तक कि ऐसा व्यक्ति हिंन्दू धर्म को अथवा ऐसे धर्म को न मानता हो, जिससे वह परिसर अथवा स्थान सम्बन्धित है।

बोर्ड में कतिपय सम्पतियों का निहित होना

22. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि पर, चार धाम व समस्त धार्मिक स्थल, जिन पर ये अधिनियम लागू होता हो, से सम्बंधित सभी सम्पतियां जो कि सरकार, जिला पंचायत, जिला परिषद्, नगर पालिका या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या सरकार अथवा किसी कम्पनी, सोसाइटी, संगठन, संस्था, समिति या अन्य व्यक्ति के कब्जे या पर्यवेक्षण में हो या कोई समिति, पर्यवेक्षक जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो, उस तारीख को जिस तारीख को बोर्ड गठित किया गया है या गठित समझा जाय, या उसके सदस्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किये गये हैं या समझे गये हैं, को बोर्ड को अंतरित समझी जायेंगी, और ऐसी सभी सम्पतियां जो कि सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या उपर्युक्त व्यक्ति, और ऐसे चलन के विरूद्ध सभी दायित्व, उक्त तिथि को बोर्ड में समाहित समझे जायेंगे:

परन्तु यह कि बोर्ड धार्मिक देवस्थानम् के सीमा के आस–पास स्थित भूमि जो उसके समुचित विकास के लिए उचित समझी जाय, अर्जित कर सकेगा।

अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् की अचल सम्पतियों का निहित होना

23. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में कोई बात के होते हुए भी अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् के प्रयोजनार्थ दी गयी अथवा दान दी गयी किसी अचल सम्पति का विनिमय, विक्रय, बन्धक या किसी अन्य रीति से अन्तरण

एवं पटटे पर तब तक नहीं दी जायेगी जब तक बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय और इस उपधारा के उल्लंघन में किया गया कोई अंतरण शून्य तथा अप्रभावी होगा।

(2) ऐसी स्वीकृति के अंनुसरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंतरण द्वारा प्राप्त धनराशि के प्रयोग के सम्बंध में जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसी शर्तों और निर्देशों के अधीन उसका निवेश कर सकेगा और बंधक रखे जाने के मामले में समुचित अवधि के भीतर उसका निर्वहन करने सम्बन्धी घोषणा कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश की प्रति से न्यासी को सूचित किया जायेगा और उसे ऐसी रीति से प्रकाशित किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।

(4) न्यासी आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर या कोई व्यक्ति जिसका उसमें हित हो, आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन माह के भीतर ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति से जैसा बोर्ड द्वारा विहित किया जाय अपील कर सकेगा जो यथास्थिति आदेश के गुणावगुण के आधार पर निर्णय करेगा।

अभिलेखों के रजिस्ट्रीकरण पर प्रतिबंध

24. रजिस्ट्रींकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् से सम्बंधित अचल सम्पति के सहबद्धता से सम्बंधित किसी विलेख का तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा जब तक विलेख के साथ धारा 23 के अधीन ऐसे सहबद्धता की स्वीकृतिं देने वाले आदेश की प्रमाणित प्रतिं उपलब्ध नही करा दी जाती है।

अविधिक रूप से समाहित अचल सम्पति की वसूली

25. यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संज्ञान में यह बात आती है, कि इस अधिनियम के अधीन आच्छादित किसी चार धाम देवस्थानम् से सम्बंधित अचल सम्पति की सहबद्धता धारा 23 के विरूद्ध है तो वह बोर्ड को मामला संदर्भित करेगा और ऐसी सम्पति के प्रत्यावर्तन हेतु विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

चार धाम देवस्थानम् से सम्बंधित भूमि और

26. (1) इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् और चार धाम की अचल सम्पति से सम्बंधित किसी भूमि या परिसर के

परिसरों से अतिक्रमण को हटाना

अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22, वर्ष 1972) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) या अन्य कोई अधिनियम जिसमें इस प्रकार के उपबंध हों, अधिनियम के अर्थान्वयन में यह समझा जायेगा कि वह राज्य सरकार की सम्पतिं थीं।

(2) उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियम के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूमि/परिसर के अतिक्रमण को हटाने के लिए उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाही करेगा।

चार धाम देवस्थानम् के संरक्षण और विकास के लिए कार्य करने की शक्तियां

27. (1) चारधाम देवस्थानम् के संरक्षण व विकास के लिये बोर्ड राज्य सरकार को यह अनुशंसा करेगा कि ऐसे क्षेत्र जो देवस्थानम् के आस–पास है को देवस्थानम् क्षेत्र अधिसूचित किया जाय। ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों में बोर्ड को राज्य सरकार के अनुमोदन से स्थान व भवन के समुचित अनुरक्षण को नियंत्रण करने का व कर वसूलने का अधिकार होगा।

(2) राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए बोर्ड पारस्परिक समझौतों, क्रय, दान, हस्तान्तरण, पट्टे, किराये द्वारा या अन्यथा किसी भवन या भूमि को अर्जित कर सकेगा। इसके अतिरिक्त नियमों के आलोक में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार भवन, भूखण्ड का अर्जन कर सकेगा।

(3) जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि—

(क) इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् से सम्बंधित मंदिरों के समीपवर्ती क्षेत्रों की कोई सम्पति किसी न्यासी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुव्यर्यन, क्षतिग्रस्त या अनुचित रूप से अन्यसंक्रांत किये जाने का खतरा है, या

(ख) न्यासी या ऐसा कोई व्यक्ति धमकी देता है या सम्पति को हटाने या समाप्त करने का आशय रखता है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी सम्पति के दुव्यर्यन क्षतिग्रस्त, सहयुक्तता, विक्रय, हटाने या वितरण को रोकने और स्थगित करने के प्रयोजनार्थ ऐसा आदेश जैसा वह ठीक समझे, कर सकेगा।

अध्याय सात

न्यासी, पुजारी, रावल इत्यादि की नियुक्ति, सहबद्धता और निर्योग्यता

पुजारी इत्यादि की नियुक्ति और सहबद्धता करने के लिए प्रक्रिया तथा उनके निर्बन्धन

28. (1) इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् के लिए पुजारी, रावल व न्यासी और अन्य व्यक्तियों को यथास्थिति नियुक्त करने में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड के अनुमोदन से धार्मिक सम्प्रदाय, परम्पराओं और वंशानुगत अधिकारों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(2) न्यासी, पुजारी, रावल इत्यादि की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए प्रक्रिया, पूर्व पद का सत्यापन और अन्य मामलों को यथास्थिति विहित किया जायेगा।

न्यासी, पुजारी, इत्यादि को हटाया जाना

29. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिनियम के अधीन आच्छादित किसी चार धाम देवस्थानम् के न्यासी, पुजारी इत्यादि को निम्नलिखित आधारों पर निलंबित, हटा या बर्खास्त कर सकेगा:–

(क) बजट, लेखा रिपोर्ट और विवरणों के बोर्ड या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इस सम्बन्ध में अन्य किसी प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुतिकरण में लगातार चूक होने पर या

(ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये उपबंधों के अधीन यथास्थिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई निर्देश या आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने पर, या

(ग) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में किसी धार्मिक संस्था, मंदिर के सम्बन्ध में किसी अवचार या अपकरण, न्यास भंग या कर्तव्य के प्रति उपेक्षा, दुर्विनियोग और कपटकृत्य, बेईमानीपूर्ण कृत्य, या किसी सम्पत्ति का अन्य संक्रामण

(घ) कोई पुजारी, न्यासी इत्यादि मंदिर के चारों ओर शराब या स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के असर में पाया जाता है, और

(ड.) मस्तिष्क की विकृत–चित्तता अथवा अन्य मानसिक या शारीरिक दोष या दुर्बलता, संचारी रोग के कारण न्यासी अथवा पुजारी आदि के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु अनुपयुक्त हो:

परन्तु यह कि कोई न्यासी, पुजारी इत्यादि इस धारा के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा तब तक पद से हटाया या बर्खास्त नही किया जायेगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

(2) कोई पुजारी या न्यासी, चाहे वंशानुगत अथवा गैर–वंशानुगत हो, जिसे उपधारा (1) के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निलंबित, हटाया या बर्खास्त किया गया है, ऐसे निलबंन, हटाने या बर्खास्त किये जाने के आदेश के प्राप्ति या सूचित होने के तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी के समक्ष इस प्रकार से अपील कर सकेगा जैसा बोर्ड द्वारा विहित किया जाय।

(3) किसी वंशानुगत पुजारी अथवा न्यासी जो इस प्रकार निलंबित, हटाया या बर्खास्त किया गया है, को ऐसा भरण–पोषण दिया जा सकेगा जैसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्ति तथा संस्था की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियत करे।

न्यासी, रावल और पुजारी इत्यादि की निर्योग्ताएं

30. (1) कोई व्यक्ति यथास्थिति न्यासी, पुजारी या रावल इत्यादि नियुक्त होने या बने रहने के लिए निर्योग्य हो जायेगा—

(क) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो।

(ख) यदि वह विकृतचित्त का हो और विद्यमान विधि के अंतर्गत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा करने की घोषणा विद्यमान हो।

(ग) यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी सम्पति के विद्यमान पट्टे या संविदा या संस्था के लिए किये जाने वाले किसी कार्य में हितबद्ध है या विन्यास या जिस संस्था के लिए वह नियुक्त है ऐसी संस्था का उस पर पांच सौ रूपये से अधिक की धनराशि देय हो,

(घ) यदि वह जिस संस्था के लिए वह नियुक्त किया गया है उसके विरूद्ध विधिक व्यवसायी के रूप में उपस्थित होता है,

(ङ.) यदि वह नैतिक अधमता में संलग्न किसी अपराध के लिए दाण्डिक न्यायालय द्वारा दण्डित हो और ऐसे दण्डादेश को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पलटा न गया हो,

(च) यदि वह जिस संस्था कि लिए कार्य कर रहा हो उसके विरूद्ध कृत्य करे,

(छ) यदि वह शराब, औषधि, नारकोटिक या नशीली वस्तुओं का प्रयोग करने का अभ्यस्त हो गया हो,

(ज) गैर वंशानुगत पुजारी या न्यासी या पुजारी या अन्य सम्बंधित व्यक्ति के मामले में यदि उसनें 21 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो,

(झ) यदि उसने हिन्दू धर्म त्याग दिया हो

(ट) रावल के मामले में यदि उसने ब्रह्मचर्य जीवन छोड़ दिया है या अन्यथा उसका चरित्र कुलषित होने की पुष्टि हो गयी है।

(2) यदि कोई न्यासी अपनी नियुक्ति के 30 दिन के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो उसका पद समाप्त हो जायेगा।

वंशानुगत पुजारी, न्यासी, रावल या पुजारी के पद की रिक्ति की पूर्ति

31. (1) चार धाम देवस्थानम् में यथास्थिति वंशानुगत पुजारी या न्यासी की जब कभी स्थायी रिक्ति हो तो उत्तराधिकारी के क्रम में अगला मुख्य उत्तराधिकारी उक्त पद के लिए पात्र होगा और रावल की नियुक्ति में पारम्परिक रिवाजों का अनुसरण किया जायेगा।

(2) श्री बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर के रावल व नायब रावल की नियुक्ति प्रचलित परम्पराओं के अनुसार ही की जायेगी।

(3) जब ऐसा पद वंशानुगत पुजारी या न्यासी इत्यादि के निलंबन या बर्खास्तगी के कारण स्थाई रुप से रिक्त हो या धारा 30 के उपबंधों के अधीन वह पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा यथास्थिति न्यासी, पुजारी के पद के दायित्वों के निर्वहन करने के लिए उत्तराधिकार के क्रम में अगले व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा जब तक उसकी निर्योग्यता समाप्त न हो जाय :

परन्तु यह कि यदि ऐसा नियुक्त व्यक्ति अवयस्क हो तो वह ऐसे अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस प्रयोजन हेतु नियुक्त करे।

(4) यदि ऐसे पद में स्थायी या अस्थाई रिक्ति हो और पद के लिए

उत्तराधिकार के अधिकार से सम्बंधित कोई विवाद हो या ऐसी रिक्ति तुरन्त नहीं भरी जा सकती हो या यदि ऐसे कार्य करने के लिए हकदार व्यक्ति के सम्बंध में कोई विवाद हो तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी चार धाम देवस्थानम् के यथास्थिति पुजारी या न्यासी के पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उसी मंदिर में परम्परागत रुप से पूजा करने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जब तक कि यथास्थिति वंशानुगत पुजारी या न्यासी की निर्योग्यता समाप्त नहीं हो जाती या अन्य वंशानुगत पुजारी या न्यासी ऐसे अल्प समय हेतु पद को धारण नहीं करता जैसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्देश दे ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के अधीन किसी नियुक्ति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुजारी/न्यासी के परिवार के सदस्यों के उत्तराधिकार के दावे पर यदि कोई हो, विचार करेगा।

(5) इस धारा के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के संसूचित होने के तीस दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।

अध्याय आठ

वित्त, चार धाम निधि और बजट एवं लेखों का अनुरक्षण

वित्त, चार धाम निधि का गठन, बजट, लेखों और अवशेषों का भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य धनराशि

32. (1) उत्तराखण्ड चार धाम निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जायेगा जो कि बोर्ड के अनुमोदन पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रशासित किया जायेगा और इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय् इसका गठन निम्नलिखित से मिलकर किया जायेगा—

क. इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् को दान, अनुदान, ऋण, वसूलियां, किराया, बिक्री, पट्टा, अनुज्ञा शुल्क, गुप्त दान, उपकर, शुल्क, बैंक जमा से ब्याज और ऐसे देवस्थानम् या अधिष्ठान की कोई अन्य आय द्वारा उपार्जित आय या कमाई;

ख. मंदिर की चल और अचल सम्पति से प्राप्त कोई आय;

ग. इस अधिनियम के प्रारम्भ पर बोर्ड के खाते में अवशेष धनराशि तथा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान ;

घ. राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा बोर्ड को आवंटित वार्षिक बजट;

ड़. धार्मिक देवस्थानम् इत्यादि द्वारा वार्षिक अंशदान;

च. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित समस्त अर्थदण्ड और शास्तियाँ;

छ. जनता, स्थानीय निकायों या संस्थाओं द्वारा किया गया कोई अन्य दान या अंशदान,

(2) ऐसी समस्त निधियां राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हों, में बोर्ड के खातों में जमा की जायेगी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा अनुरक्षित की जायेंगी, जैसा बोर्ड द्वारा इस हेतु निर्देशित किया जाय। धार्मिक देवस्थानम् और अन्य धार्मिक संस्थाओं कीं समीं आय इस निधिं में जमा की जायेगी।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी निधि का समुचित लेखा अनुरक्षित करेगा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित संपरीक्षा अभिकरण या चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा वार्षिक रूप से सम्परीक्षित किया जायेगा तथा सामान्य जनता के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में इसका तुलन पत्र प्रकाशित किया जायेगा।

(4) बोर्ड का लेखा महालेखाकार उत्तराखण्ड या उसके द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संपरीक्षित किया जायेगा।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करके इस अधिनियम के अधीन उददेश्यों की प्राप्ति के लिए व्यय कर सकेगा और इस निधि से उसके सदस्यों को पारिश्रमिक तथा कर्मचारियों को परिलब्धियों का भुगतान कर सकेगा।

(6) बोर्ड किसी विशेष देवस्थानम् को बजट आवंटित करते समय उसकी वार्षिक आय को ध्यान में रखेगा जिससे कि ऐसे देवस्थानम् द्वारा संकलित की गयी आय को किसी अन्य देवस्थानम् को न दिया जा सके।

(7) बोर्ड, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत दान ग्रहण करने, अधिनियम में उल्लिखित कार्यों के कियान्वयन एवं

जनहित के अन्य कार्यों को करने के लिये एक न्यास का गठन करेगा।

मंदिर बकाया की वसूली 33. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित अर्थ दण्ड/ शास्तियों/ देयों की वसूली सहित मंदिर को देय सभी धनराशियां वसूली की अन्य रीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस सम्बंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गयी अध्यपेक्षा पर उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1965 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अनुसार भू–राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी।

हुण्डी का संस्थापन 34. (1) बोर्ड मंदिर में आये तीर्थ यात्रियों और दानदाताओं द्वारा चढ़ावे के लिए मंदिर के ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर जैसा वह ठीक समझे, एक या अधिक पात्र (जिसे यहां आगे हुण्डी कहा गया है) स्थापित कर सकेगा।

(2) हुण्डी ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से संचालित की जायेगी जैसा बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

(3) किसी हुण्डी में रखे गये चढ़ावे का ऐसा भाग जैसा बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्देश दिया जाय, उत्तराखण्ड चार धाम निधि में जमा किया जायेगा।

(4) इस सम्बंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के सिवाय् कोई व्यक्ति मंदिर में स्थापित हुण्डी के न तो निकट जायेगा और न ही किसी रीति से हस्तक्षेप करेगा:

परन्तु यह कि किसी स्थान पर सद्‌भावना के उद्‌देश्य से किसी हुण्डी के समीप जाने के लिये ऐसी अधिकारिता की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) किसी विधि, परम्परा, रुढ़ियों या अनुबंधों या अधिकार के अभिलेखों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई पुजारी/रावल इत्यादि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात स्थापित किसी हुण्डी में रखे गये चढ़ावे के किसी अंश का हकदार नहीं होगा।

बोर्ड द्वारा बजट की तैयारी और उसका प्रस्तुतिकरण 35. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक देवस्थानम् के लिये, जो इस अधिनियम से आच्छादित हो, पुजारी या न्यासी से परामर्श कर बजट तैयार करेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक बजट में—

(क) तत्समय प्रवृत्त व्यय की मात्रा और पारम्परिक व्यय;

(ख) संस्था पर समस्त बाध्यकारी दायित्वों के सम्यक निर्वहन;

(ग) धार्मिक, शैक्षिक और पूर्त प्रयोजनों, विकासशील गतिविधियों, तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं , विद्यमान सुविधाओं का अनुरक्षण और लोक यातायात तथा स्वच्छता प्रणाली पर व्यय;

(घ) धार्मिक निर्देशों एवं गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं फैलाव के लिये, ऐसी संस्थाओं के इतिहास जो उनकी संस्कृति से संगत हो के प्रचार और ऐसे देवस्थानम् इत्यादि के चारों ओर के पर्यावरण के सुधार के लिए व्यय;

(ड.) भवनों, मंदिरों की मरम्मत, अनुरक्षण, नवीनीकरण तथा चार धाम देवस्थानम् के परिसम्पतियों एवं सम्पतियों के संरक्षण पर व्यय;

(च) वेतन, बकायों, मजदूरी, पारिश्रमिक और वार्षिकी इत्यादि के अन्य भुगतान के लिए व्यय, हेतु समुचित उपबंध किये जायेंगे।

(3) बजट को बोर्ड के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बजट को बोर्ड के अनुमोदन हेतु अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पूर्व इसमें ऐसे संशोधन, निरसन या विस्तार कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

लेखों का अनुरक्षण और अंकेक्षण

36. प्रत्येक देवस्थानम्/मंदिर हेतु प्राप्तियों एवं वितरणों का लेखा नियमित रुप से रखा जायेगा। यह लेखा, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष हेतु पृथक रुप से ऐसा प्रारूप में और ऐसा विवरणों में जैसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विहित किया जाय, रखा जायेगा, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथानिर्णीत समय-समय पर सम्परीक्षा के अध्यधीन होगा।

अध्याय नौ
अपराध तथा शास्तियां

न्यासी इत्यादि द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन न करने के लिए शास्ति

37. इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् के प्रशासन से सम्बंधित यदि कोई न्यासी, अधिकारी, पुजारी, प्रतिनिधि, या कोई अन्य सम्बंधित व्यक्ति —

(क) इस अधिनियम या तद्धीन बने नियमों, आदेशों या निर्देशों के उपबंधों का अनुपालन करने से इन्कार करता है या जानबूझकर असफल हो जाता है या अपने कर्तव्यों के निष्पादन में उपेक्षा

बरतता है या इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करता है; या

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत् मांगी गयी किसी रिपोर्ट, विवरण, लेखों या अन्य सूचनाओं को उपलब्ध कराने से इन्कार करता है या जानबूझकर असफल हो जाता है, या

(ग) धार्मिक देवस्थानम् में और उसके आसपास शांति भंग करे या किसी तीर्थयात्री/यात्री के साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार या गाली गलौज करते हैं, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

धार्मिक संस्थाओं से सम्बंधित सम्पति को त्रुटिपूर्ण रूप से रोके रखने तथा किसी अन्य स्थान पर पारम्परिक मूर्ति का प्रतिरूप स्थापित करने के लिए शास्ति

38. (1) कोई व्यक्ति जो—

(क) किसी ऐसी संस्था से जिसका प्रबन्धन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाय, सम्बंधित कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुये किसी सम्पति, अभिलेख या लेखे की पुस्तिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से ऐसी सम्पत्ति, दस्तावेज या लेखा पुस्तकों पर सदोषपूर्वक या अवैध रुप से कब्जा बनाये रखता है, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ऐसा लेखा उपलब्ध नहीं कराता है,

(ख) ऐसी संस्था की ऐसी सम्पति, अभिलेख या लेखों की पुस्तिकाओं पर सदोषपूर्वक कब्जा प्राप्त करेगा या सदोषपूर्वक ऐसा कब्जा बनाये रखेगा या जानबूझकर उसे रोके रखेगा या इस सम्बंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके किसी प्राधिकृत व्यक्ति को देने में असफल रहेगा, या

(ग) ऐसी संस्था की सम्पति, अभिलेखों या लेखा पुस्तिकाओं को सदोषपूर्वक रोके रखेगा, नष्ट करेगा या फाड़ेगा:

तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो रूपये पच्चीस हजार तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

अपराध का असंज्ञेय और जमानतीय होना

39. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होगा।

अपराधों का संज्ञान 40. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। धारा 37 और 38 में उल्लिखित अपराध के बारे में कोई न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं ले सकेगा ज़ब तक कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इस सम्बंध में उसके द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति लिखित रूप में परिवाद संस्थित न करें।

अध्याय दस
विविध

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण 41. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किन्ही शक्तियों का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने वाले या कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति 42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसा आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

बोर्ड हिन्दू देवस्थानम् इत्यादि के अतिरिक्त देवस्थानम् इत्यादियों के विकास के लिए निधियां प्राप्त कर सकेगा 43. बोर्ड, किसी अन्य धर्म से सम्बंधित किसी देवस्थानम् या धार्मिक संस्था के विकास के लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या किसी अन्य स्रोतों जैसे दान, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि, किराया, सर्विस चार्ज इत्यादि से धनराशि प्राप्त कर सकेगा।

अनुसूची में संशोधन 44. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर ऐसे अन्य हिन्दू धार्मिक देवस्थानमों और अन्य मन्दिरों को भी सम्मिलित कर सकेगी, जैसा वह आवश्यक समझे।

कतिपय धार्मिक संस्थाओं पर अधिनियम का लागू न होना

45. यह अधिनियम, वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित वक्फ और सिख गुरूद्वारा अधिनियम, 1925 और किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्यों द्वारा बनाये गये अधिनियमों के अधीन स्थापित अन्य धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा।

नियम एवं विनियम बनाने की शक्ति

46. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।
(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।
(3) बोर्ड अपने कार्यों के संचालन हेतु विनियम बना सकेगा।

क्षेत्राधिकार का प्रतिबंध

47. इस अधिनियम में स्पष्ट रुप से उपबन्धित के सिवाय् इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उनके द्वारा किये गये किसी कृत्य या किये जाने के लिये आशयित कृत्यों के लिये राज्य सरकार या बोर्ड या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अन्य अधिकारी के विरूद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही संस्थित नही की जायेगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

48. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम में किसी बात के असंगत होते हुए भी या किसी विधि के कारण प्रभावी किसी प्रबन्धन की स्कीम, डिक्री, रिवाज, प्रथा या किसी लिखत के होते हुए भी अधिभावी होंगे।

निरसन और व्यावृतियां

49. (1) संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1939) और उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम, 1964 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1964) एतदद्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी——

(क) निरसित अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी अधिकारी द्वारा सभी नियम, उपविधियां, बनाये गये विनियम, अधिसूचना या जारी प्रमाण पत्र, पारित आदेश, किए गये निर्णय, की गयी कार्रवाई और अन्य बातें जहां तक वह इस अधिनियम के असंगत न हों, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन समुचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा जारी, पारित या किये गये

समझे जायेंगे और तद्नुसार जब तक अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन्हें संशोधित, निरसित या निलंबित न किया जाय, प्रभावी रहेंगे।

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन सरकार, किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष समस्त लंबित कार्यवाहियां जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से निस्तारित किये जायेंगे।

अनुसूची

(क)	
1	गढ़वाल में स्थित श्री बद्रीनाथ मंदिर और इसके परिसर के अन्य समस्त मंदिर सहित जहां पूजा के लिए पटटी तल्ला पेन खण्डा में ग्राम बद्रीनाथ जिला चमोली, जिसमें श्री लक्ष्मी जी मंदिर, गरूड मूर्ति, हनुमान जी, घंटाकरण और सभी अन्य छोटी मूर्तियां, सम्मिलित हैं,
2	बद्रीनाथ में श्री शंकराचार्य मंदिर,
3	बद्रीनाथ में श्री आदि केदारेश्वर मंदिर,
4	बद्रीनाथ में श्री बल्लभाचार्य मंदिर,
5	बद्रीनाथ में स्थित श्री तप्त कुण्ड,
6	बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल, बरानेत (की शिला) और परिकमा (परिसर),
7	बद्रीनाथ में माता मूरी मंदिर,
8	पाण्डुकेश्वर में योग बद्री मंदिर,
9	सुब्बाइन में भविष्य बद्री,
10	जोशीमठ में नरसिंह मंदिर,
11	जोशीमठ में वासुदेव मंदिर,
12	जोशीमठ में श्री दुर्गा मंदिर,
13	जोशीमठ में राज राजेश्वरी मंदिर,
14	ज्योतेश्वर में महादेव मंदिर,
15	ज्योतेश्वर में भक्त वात्सल्य मंदिर,
16	विष्णु प्रयाग में नारायण मंदिर,
17	चेन में सीता देवी मंदिर,
18	अभिमठ में वृद्ध बद्री मंदिर,
19	उर्गाम में ध्यान बद्री मंदिर,
20	पाखी में श्री नरसिंह मंदिर,
21	दारमी में श्री नरसिंह मंदिर,
22	नन्द प्रयाग में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर,
23	कुलसारी में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर,
24	द्वाराहाट, अल्मोडा में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर,
25	गुडसिर, अल्मोडा में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर,
26	बयाला, अल्मोडा में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर,
27	बद्रीनाथ पुरी में पंच शिला,
28	बद्रीनाथ पुरी में पंच धारा,
29	श्री बद्रीनाथ मंदिर, धर्मशाला सहित परिकमा,
30	वसुधारा झरना के नीचे धर्मशिला और वसुधारा,

(ख)	
1	गढवाल में श्री केदारनाथ मंदिर और सम्बंधित सहित अधीनस्थ देवस्थानम् इत्यादि
2	केदारनाथ में उडक कुण्ड,
3	श्री केदारनाथ मंदिर की परिसीमा पर लघु मंदिरें,
4	गुप्तकाशी में श्री विश्वनाथ जी मंदिर,
5	गुप्तकाशी में श्री विश्वनाथ जी मंदिर की परिसीमा पर लघु मंदिरें,
6	ऊखीमठ में श्री उषा मंदिर,
7	ऊखीमठ में श्री बाराही मंदिर,
8	मदमहेश्वर में श्री मदमहेश्वर मंदिर,
9	कालीमठ में श्री महाकाली मंदिर,
10	कालीमठ में श्री महालक्ष्मी मंदिर,
11	कालीमठ में श्री महा सरस्वती मंदिर,
12	त्रिजुगी नारायन में श्री नारायण मंदिर,
13	त्रिजुगी नारायन में श्री नारायण मंदिर की परिसीमा पर लघु मंदिरें,
14	गौरीकुण्ड में श्री गौरी माई मंदिर,
15	तुंगनाथ में श्री तुंगनाथ मंदिर,
16	मक्कू में तुंगनाथ मंदिर,
17	काली शिला में श्री काली शिला मंदिर,
(ग)	यमुना जी मंदिर, शनि देव, कुण्डा शिला इत्यादि और यमुनोत्री देवस्थानम् में और उसके आसपास समस्त अन्य लघु मंदिर जिसमें ग्राम खिरसाली में शनि महाराज मंदिर भी सम्मिलित हैं,
(घ)	गंगोत्री में मां गंगा मंदिर और गंगोत्री देवस्थानम् में और उसके आसपास समस्त अन्य लघु मंदिर जिसमें गौमुख में "उद्धगम स्थल" भी सम्मिलित है,
(ङ.)	
1	टिहरी गढवाल में चंद्रबदनी मंदिर,
2	देव प्रयाग, टिहरी गढवाल में रघुनाथ मंदिर,
3	टिहरी गढवाल, सेम मुखेम, नागराजा मंदिर,
4	चौरास श्रीनगर (पौडी गढ़वाल) में श्री राज राजेश्वरी देवी मंदिर।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव।

उदेश्य व कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ – श्री केदारनाथ अधिनियम, 1939 प्रवृत्त है। इस अधिनियम के कई उपबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं रह गये हैं। इसके दृष्टिगत् उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन विधेयक, 2019 प्रस्तावित किया जा रहा है।

2– इसके अतिरिक्त गंगोत्री, यमुनोत्री तथा अन्य प्रसिद्ध मंदिरों का भी कायाकल्प किया जाना अति आवश्यक है। इस हेतु जम्मू कश्मीर में स्थापित श्री वैष्णो देवी माता मंदिर, सांई बाबा, जगन्नाथ और सोमनाथ मंदिरों की तरह उत्तराखण्ड में स्थित मंदिरों और देवस्थानम् के लिए भी विधिक उपबंध किये जाने आवश्यक है।

3– इस प्रकार यह विधेयक जम्मू कश्मीर में स्थापित श्री वैष्णो देवी माता मंदिर, सांई बाबा, जगन्नाथ और सोमनाथ मंदिरों की तरह राज्य में अवस्थित श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ मंदिर, गंगोत्री, यमुनोत्री तथा अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के कायाकल्प हेतु मील का पत्थर साबित होगी।

4– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति करता है।

(सतपाल महाराज)
मंत्री।